

# मध्यप्रदेश विधान सभा



## जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र दैनिक कार्य सूची बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 (श्रावण 8, 1947) समय 11.00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 92वां, 93वां एवं 94वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री –

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1159/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 19 जून, 2025, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 के उपनियम (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, खरगौन जिले के महेश्वर जल विद्युत परियोजना का कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, मध्यप्रदेश में संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचदश विधान सभा के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों संबंधी तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के शास. उच्च. मा. विद्यालय दलौदा स्टेशन अंतर्गत भवन के जर्जर छत का पुनः निर्माण कराये जाने,
- (2) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम रमजीपुर से कुडपार तक रोड निर्माण कराये जाने,
- (3) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम चन्द्रगढ़ माल और कागलीखोरा गांवों के मध्य नाले पर तालाब निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले की टेमला पंचायत अंतर्गत मातपुर-पटेलपुरा में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम छापर तिगैला से छापर होते हुए सिया मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (6) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के चिचगांव लालबर्वा माध्यमिक शाला में नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,
- (7) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम पठटार से भयडी फलिया, उकला फलिया, झरी फलिया होते हुये ग्राम कुआ तक रोड निर्माण कराये जाने,
- (8) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम ईकलेरा से खेरिया सुसनेर व्हाया कजलास तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम चकरपुर एवं कुलुआ में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,
- (10) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाडा जिले के ग्राम सिरगोरीखुर्द से नवेगांव व्हाया दीघावानी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री बिसाहलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले में जैहतरी-झाईताल सहित अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम अमदरा स्थित शास. हाई सेकेण्ड्री स्कूल का नवीन भवन निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के अंतर्गत ग्राम आम्बा-गोन्दीरेला में तालाब निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले के मोहनपुर रोड से ग्राम भिलौड़ी आदिवासी तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदुआ/खमरिया में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत ग्राम डाढ में नये घर से मजरा कुडन तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (17) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत झिरी जामली पटेल फल्या से कामोदवाडा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (18) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत प्रतापपुर दाव्या अंतर्गत काला पानी में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर जिले के तिली वार्ड में ज्ञानवीर कॉलेज के पास अभिनय रेसीडेंसी में नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (20) श्री मुकेश टंडन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम पालकी में स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री बृज बिहारी पटैरिया, सदस्य, सागर जिले के देवरी पुराने बायपास से सिलकुई बेरियल डबल लाईन एवं चौड़ीकरण कराये जाने,
- (22) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले की ग्राम लूरी से जैतपुरी जमगांव तक एवं अन्य ग्रामों में पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले की नगरपालिका वार्ड क्रमांक 20 ए.बी. रोड स्थित बहुबलीपुरम कॉलोनी में सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कन्हार से काला खेत तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (25) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ नगर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए नगर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कराये जाने,
- (26) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम छापीहेडा से भरण मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के दोरावली पंचायत के मजरे टोले नारायण सिंह का पुर पंचम सरपंच एवं गट्टापुरा कंषाना का पुरा एवं वीरेन्द्र सिंह के पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (28) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-61 में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

- (29) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के नगर खुजनेर में नवीन महाविद्यालय स्वीकृत करने,
- (30) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-18 के दीनदयाल नगर के जी-ब्लॉक होते हुए माता के मंदिर तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने,
- (31) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भगुवापुरा, रामपुरा में श्रद्धालुओं के लिये सर्वसुविधा युक्त नवीन अस्पताल बनाये जाने,
- (32) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के जनपद पंचायत सिरोंज के कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,
- (33) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर-पलेरा मुख्य मार्ग से ग्राम उगढ़ मातौल तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चौरा में भुइया तालाब से आदिवासी बस्ती होते हुए राजभान तिवारी के घर तक कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने,
- (35) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम शाहगढ़ में तालाब निर्माण कराये जाने,
- (36) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत लपटा मुख्य मार्ग बनकुईया होते हुए पैपखरा नहर की दाईं पटरी के धवैया छिपटा पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (37) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के जीरन नगर में शास. कन्या उच्च. मा. विद्यालय का नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,
- (38) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम नदावन से कुठिया महगवां मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (39) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कन्हड़गांव से भमोड़ी, चिचगांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के बारह महल से जे.पी. नगर तक एवं पुराने भोपाल के मोहल्ले / बस्तियों में सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने,
- (41) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के नर्मदा घाट पर स्थित गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (42) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले की नगर परिषद् करीपुर में बाकड़ा नदी लुहारी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (43) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम कनारी से दरवारी टोला एवं नाचनवाही तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (44) श्री ऋषि अग्रवाल, सदस्य, गुना जिले के ग्राम मारकी महु, फतेहगढ़, विशनवाड़ा में किसानों के लिये उर्वरक (खाद्य) डीएपी, यूरिया एनपीके आदि सामग्री के भण्डार एवं वितरण हेतु नवीन डबल लॉक गोदाम स्वीकृत करने,
- (45) श्री विवेक विक्री पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी-डोंगरमाली-बेनी से रेगाटोला तक सड़क का चौड़ीकरण एवं पुल/पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (46) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य, उज्जैन जिले के अंतर्गत थाना महिदपुर, झारड़ा, राघवी में पुलिस स्टाफ क्वार्टर निर्माण कराये जाने,
- (47) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुमड़ावदा में ग्राम से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (48) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सूरजपुरा हल्का नं. 32 नखलौली, का नक्शा ऑनलाईन कराये जाने,
- (49) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम डिघौरा से सनौरा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (50) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम कुरबरा अंतर्गत अंबेडकर पार्क में हैण्डपंप खनन एवं एक फेस समर्सिबल पंप स्वीकृत करने,
- (51) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, अशोकनगर जिले में आमखो सिद्ध धाम से चंदेरी ईसागढ़ रोड नसिंहर घाटी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (52) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के अंतर्गत कोटरा से छाबड़, रेसाई भाटपुरा एवं चैनपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (53) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के रीठी अंतर्गत उजियारपुरा एवं बखलेकटा के मध्य नवीन पुलिया का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय

## 7. वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ पैंतीस करोड़, छत्तीस लाख, अस्सी हजार, नौ सौ अठानवे रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.”

2 घण्टे

## 8. शासकीय वित्त विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.... (क्रमशः)

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :  
दिनांक : 29 जुलाई, 2025

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

\*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.